न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर) ,बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार (आरएएस)
जी.सी.एम.एस. नं.:- 2013/00070

1 शारदा देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल जाति कच्छावा निवासी उदयरामसर हाल आबाद गोगागेट के बाहर मालियों का मौहल्ला बीकानेर।

वादीया

—बनाम—

1 गुमानाराम पुत्र श्री गंगाराम जाति कुम्हार निवासी उदयरामसर हाल आबाद रामदेव जी मंदिर के पास अमरपुरा बास भीनासर बीकानेर

2 यशोदा देवी पत्नी श्री नत्थूराम जाति लखेसर उदयरामसर हाल आबाद रामदेव जी मंदिर के पास अमरपुरा बास भीनासर बीकानेर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अभिभाषक उपस्थितिः—

1 **श्री उमेश ऋषि अभिभाषक वादीगण।**

2 **श्री राजेन्द सिंह भास्कर अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2**

निर्णय दिनांक 07.05.2026

1. प्रकरण में वर्णित संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी की खातेदारी भूमि ग्राम उदयरामसर के खसरा नं. 1879 की 1400 हैक्टर भूमि, खसरा नं. 1889/1 की 12.4400 हैक्टर भूमि कुल 13.5800 हैक्टर भूमि है, जिस पर वादिनी बतौर खातेदार काश्त का काबिज है, और अपनी भूमि काश्त कर रही है, इसका सबूत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 व गिरदावरी सम्वत् 2068 पेश है। इस प्रकार वादिनी अपनी भूमि पर फसल काश्त करती आ रही है। वादिनी की भूमि पर प्रतिवादीगण आंख लगाकर बैठें है, दिनांक— 17.06.2013 को दिन के करीब 10.00 बजे प्रतिवादीगण आये और जबरदस्ती वादिनी के खेत में घूसने लगे तब, वादिनी ने हल्ला करके अपने बच्चों को बुलाया और कई अन्य खेत के काश्तकारों को बुलाया और बताया की प्रतिवादीगण जबरदस्ती मेरे खेत में घूसने की कोशिश कर रहें है। यही कारण वाद पेश करने का है, इस प्रकार दिनांक 17.06.2013 को वादिनी को प्रतिवादिगण के विरूद्ध काज ऑफ एक्सन प्राप्त हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी वादिनी के खेत में घूसना चाहते है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादगत भूमि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने वादीनी के दावा का खंडन करते हुए जवाबदावा पेश किया कि वादीनी व उसके परिवारजन राजनीतिक प्रभाव वाले एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा वादीनी ने नाजायज रूप से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में उनकी इजाजत के बिना प्रवेश कर जबरन तारबंदी कर ली तथा अदालत को गुमराह करने की नियत से प्रतिवादीगण के विरुद्ध झूठा एवं आधारहीन वाद दायर कर दिया है। अतः वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गए:–

1. आया वादीया, प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

.....वादीया

2. आया प्रतिवादीगण, वादी का वाद झूठा एवं आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

.....प्रतिवादीगण

3 अन्य दादरसी

.....उभयपक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीनी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत	प्रदर्श
जमाबंदी	जमाबंदी संवत् 2068–71 मौजा उदयरामसर बीकानेर खाता संख्या	प्रदर्श–01

Scanned with OKEN Scanner

गिरदावरी	संवत 2068	प्रदर्श–02

प्रकरण में वादीनी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
श्रीमती शारदा देवी	माली	गोगागेट के बाहर मालियों का मोहल्ला बीकानेर	पी डब्ल्यू 01

5. प्रकरण में श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वरलाल पी0डब्ल्यू–01 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किये गए–

❖ **श्रीमती शारदा देवी पी0डब्ल्यू–01 :–**

- शपथग्रहिता ग्राम उदयरामसर के खसरा नंबर 1879 की 1.400 हैक्टयर, खसरा नंबर 1889/1 तादादी 12.44 हैक्टयर कुल तादादी 13.5800 हैक्टयर खातेदारी भूमि है। यह भूमि मिकरा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और अपनी भूमि में बैठी हुई है वहीं फसल काश्त करती है।
- प्रतिवादी गुमानाराम व यशोदा ने जबरदस्ती मिकरा की भूमि में दिनांक 17.06.2013 को घुसने की कोशिश की तब इन अतिक्रमियों को अडोसी पडोसियों को घुसने की कोशिश की तब इन अतिक्रमियों को अडोसी पडोसियों ने समझाया तब वे चले गये मगर जाते हुए यह कह गए कि मौका मिलेगा तुम्हारी भूमि में हम घुस जाएंगे।
- प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में यह लिखा है कि उनकी भूमि में वादीनी ने घुस कर कब्जा किया है और तारबंदी की है यह तथ्य प्रतिवादीगण ने गलत अंकित किये है ना तो वादिनी उनकी भूमि में घुसना चाहती है ना ही घुसी है तथा खेत में वादिनी अपनी भूमि पर तारबंदी करके काबिज हैं। इस संबंध में मौके की जांच तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्के से करवायी गई है।

6. **प्रकरण में प्रतिवादीगण की जिरह शून्य रही। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नही किए जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।**

Scanned with OKEN Scanner

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

- विद्वान अधिवक्ता वादीनी द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए तर्क किया गया कि वादगत भूमि वादिनी की खातेदारी भूमि है, जिस पर वादिनी बतौर खातेदार काश्त का काबिज है, और अपनी भूमि काश्त कर रही है, इस प्रकार वादिनी अपनी भूमि पर फसल काश्त करती आ रही है। प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी वादिनी के खेत में घूसना चाहते है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त की जावे।
- विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए तर्क किया गया कि वादीनी व उसके परिवारजन राजनीतिक प्रभाव वाले एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा वादीनी ने नाजायज रूप से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में उनकी इजाजत के बिना प्रवेश कर जबरन तारबंदी कर ली तथा अदालत को गुमराह करने की नियत से प्रतिवादीगण के विरुद्ध झूठा एवं आधारहीन वाद दायर कर दिया है। अतः वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

8. हमारे द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

तनकी–01

8.1 इस संबंध में सर्वप्रथम प्रथम तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार है:–

1. आया वादीया, प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। .....वादीया

- प्रथम तनकी को साबित करने का भार वादी के ऊपर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2068–71 व गिरदावरी संवत 2068 से यह सिद्ध होता है कि वादीगण वादगत भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादगत भूमि पर काबिज है। लिहाजा यह तनकी बहक वादीनी, खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

तनकी 02

8.2 अब इस संबंध में तनकी संख्या 02 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय तनकी निम्न प्रकार है:-

आया प्रतिवादीगण, वादी का वाद झूठा एवं आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

.....प्रतिवादीगण

- द्वितीय तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के ऊपर है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वादगत भूमि कृषि भूमि है जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। वादगत भूमि पर वादीनी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का वादगत भूमि से कोई संबंध नहीं है न ही प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश हुआ जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त सिद्ध हो। लिहाजा यह तनकी बहक वादीनी, खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार किया जाकर चिर स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि वादीनी के खातेदारी खेत खसरा नंबर ग्राम उदयरामसर के खसरा नं. 1879 की 1.1400 हैक्टर भूमि, खसरा नं. 1889/1 की 12.4400 हैक्टर भूमि कुल 13.5800 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादीगण प्रवेश नहीं करे, ना ही करावे और ना ही दखल अंदाजी करे, न ही ताकत के बल पर वादीनी को बेदखल करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.26..... को सरे इजलास सुनाया।

(रणजीत कुमार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(शहर) बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner